न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 02/2022 आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

रामेश्वर पिता नारायण मीणा निवासी केशुविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

बनाम

1. घनश्याम पिता भैरूलाल माली निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया
2. प्रभूलाल पिता भैरूलाल माली निवासी रामपुरिया
3. गीता बाई पुत्री भैरूलाल माली निवासी रामपुरिया
4. सुमित्राबाई पुत्री भैरूलाल माली निवासी रामपुरिया
5. शान्तिबाई पत्नि भैरूलाल माली निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां
6. उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ
7. तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

—— प्रार्थी

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निरस्त किये जाने आंवटन आदेश दिनांक 19.05.1989 पत्रावली संख्या 240/1989 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियमावली 1970

उपस्थित :– 1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री शिवसिंह चारण अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.05.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रकरण विपक्षीगणों के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि, विपक्षी के पति/पिता भैरूलाल माली को भू आवंटन समिति माण्डलगढ द्वारा दिनांक 19.05.1989 को बिलानाम भूमि खसरा संख्या 196/158 में से 06.08 बीघा भूमि का आवंटन नियम विरूद्व किया गया जो निरस्तनीय हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हैं। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नही होकर आवंटन की पात्रता नही रखता था। आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नही की हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी को ग्राम केशुविलास के खसरा नं. 196/158 में से 6.08 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1989 को अपास्त किया जाकर भूमि को बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिकार पत्र पेश उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षी के पति/पिता भैरूलाल माली को भू आवंटन समिति माण्डलगढ द्वारा दिनांक 19.05.1989 को बिलानाम भूमि खसरा संख्या 196/158 में से 06.08 बीघा भूमि का आवंटन नियम विरूद्व किया गया जो निरस्तनीय हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हैं। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नही होकर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवंटन की पात्रता नही रखता था। आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नही की हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी को ग्राम केशुविलास के खसरा नं. 196/158 में से 6.08 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1989 को अपास्त किया जाकर भूमि को बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित ग्राम केशुविलास की आराजी संख्या 196/158 में से रकबा 6.08 बीघा भूमि के आवंटन को आवंटन निरस्तीकरण हेतु इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 37/2022 आ.नि उनवान राज्य सरकार बनाम घनश्याम माली दर्ज किया जाकर दिनांक 26.05.2023 को निर्णित किया जा चुका हैं। अब अन्य प्रार्थी द्वारा पुनः ग्राम केशुविलास की आराजी संख्या 196/158 में से रकबा 6.08 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्तीकरण हेतु यह प्रकरण दर्ज कराया गया हैं जो रेस ज्यूडिकेटा सिद्वान्तों के मध्ये नजर खारिज किये जाने योग्य हैं। वैसे भी विधिनुसार किसी भी मामले में दौहरा विचारण नही किया जा सकता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि उक्त प्रकरण में इसी न्यायालय द्वारा ग्राम केशुविलास की आराजी संख्या 196/158 में से रकबा 6.08 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु दिनांक 26.05.2023 को प्रकरण निर्णित किया जा चुका हैं। अब नये (अन्य) प्रार्थी द्वारा उसी आवंटन को दोबारा इसी न्यायालय में पेश कर निर्णित कराना चाहता हैं जो विधि विरूद्व हैं। इस प्रकार नये (अन्य) प्रार्थी द्वारा उसी आवंटन को नये प्रार्थना पत्र के साथ पेश करके न्यायालय में वाद बाहुल्यता बढाकर न्यायालय का श्रम अनावश्यक जाया करना चाहता हैं। जबकि आपत्तिकर्ता को पूर्व निर्णय से असंतुष्टता होने पर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) रेस ज्यूडिकेटा सिद्वान्त के मध्येनजर अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) रेस ज्यूडिकेटा सिद्वान्त के मध्येनजर अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहसा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा